संख्या-69/2016/965/22-2-2015-17(289)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2016

विषय:- सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध बन्दी जगमोहन पुत्र श्री रामभजन निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42090/पर-3(एम-11-09-2015) दिनांक-23-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगमोहन पुत्र श्री रामभजन निवासी ग्राम-शिवपुरी, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। लगभग 10 वर्ष वीत जाने के बाद भी संतान न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 03/04-03-1987 की मध्यरात्रि में गडासा से मारकर अपनी पत्नी रामलाली की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-255/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 जिला एव सत्र न्यायाधीश खीरी द्वारा दिनांक 12-12-1988 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 11-01-1990 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 30-08-2015 तक 27 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 53 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ खीरी द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी जगमोहन पुत्र श्री रामभजन निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगमोहन (बन्दी संख्या-15522) पुत्र श्री रामभजन निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-69/2016/965(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, खीरी।

2- अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-69/2016/965/22-2-2015-17(289)/2009

दिनांक 28 जून, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्ध बन्दी बन्दी जगमोहन (बन्दी संख्या-15522) पुत्र श्री रामभजन निवासी ग्राम-शिवपुरी, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। लगभग 10 वर्ष वीत जाने के बाद भी संतान न होने के कारण बन्दी ने दिनांक 03/04-03-1987 की मध्यरात्रि में गडासा से मारकर अपनी पत्नी रामलाली की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-255/1987 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 जिला एव सत्र न्यायाधीश खीरी द्वारा दिनांक 12-12-1988 को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 11-01-1990 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 30-08-2015 तक 27 वर्ष 07 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 53 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी जेल आचरण अच्छा है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ खीरी द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी जगमोहन पुत्र श्री रामभजन निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।